संख्या-2/2022/आई/227277/2022-23-4099(099)/45/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 14/10/2022**

विषय-स्वर्गीय श्री राम दरश सिंह सहायक अभियंता की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-2350ईएई/48ईए/2018 दिनांक 26.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011, चिकित्सा परिचर्या(प्रथम संशोधन)नियमावली, 2014 एवं चिकित्सा परिचर्या(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दरश सिंह सहायक अभियंता द्वारा अपने पति स्व0 श्री राम दरश सिंह सहायक अभियंता के मेदांता हॉस्पिटल,लखनऊ में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 06.06.2021 तक कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय रू0 10,81,286/- के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की दरों पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कृते मुख्य चिकित्सा अधिकारी,लखनऊ के पत्रांक-8229, दिनांक 05.04.2022 द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि **रू0 9,74,361/-(रू0 नौ लाख चौहत्तर हज़ार तीन सौ इकसठ मात्र)** की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स,अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है। प्रश्नगत चिकित्सा दावे का भुगतान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0 प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता, (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग,लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट,लखनऊ ।
6- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग,लखनऊ।
8- श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दरश सिंह सहायक अभियंता निवासी रंगोली पैलेस सी-११ अबरार नगर कल्यानपुर लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in